आदेश क

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक(क-2)

क्रमांक 4015(1)कार्मिक(क-2)/75 दिनांक 6-जुलाई, 1977

***

1- समस्त शासन सचिव ।
2- विशिष्ट शासन सचिव ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, (जिलाधीशों सहित)

परिपत्र

विषय:- अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं में वृद्धि एवं पुनर्नियुक्ति -

****

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समसंख्यक आज्ञा दिनांक 25-2-76 व इससे पहले के सभी आदेशों/परिपत्रों के अधिक्रमण में राज्य सरकार यह आदेश देती है कि अधिवार्षिकी आयु के बाद अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी । यदि किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में किसी अधिकारी/कर्मचारी की, अधिवार्षिकी आयु के बाद, राज्य सेवा में रखा जाना आवश्यक हो तो उन्हें पुन-नियुक्त किया जा सकेगा । यह पुनर्नियुक्ति केवल वैज्ञानिक (साइंटिफिक) और तकनीकी (टेक्नीकल) कर्मचारियों में ही की जा सकेगी ।

समस्त संबंधित अधिकारियों को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे इन अनुदेशों का कठोरता से पालन करें ।

(अरुण कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री ।
2- निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री/मुख्य सचिव ।
3- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
4- सहायक शासन सचिव, मंत्री-मण्डल सचिवालय, जयपुर, मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक 102 दिनांक 30 जून, 1977 के संदर्भ में ।
5- सहायक शासन सचिव, का०एवं०प्र०विभाग(ग्रु-7), अतिरिक्त 7 प्रतियों सहित।
6- सचिवालय के समस्त विभाग/ग्रुप/प्रकोष्ठ ।
निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, राज०जयपुर को व्यापक प्रचार हेतु ।

(राम नारायण श्रीवास्तव)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।

(राम नारायण श्रीवास्तव)
उप शासन सचिव

निजी सहायक, विशिष्ट सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव।
रक्षित पत्रावली ।